न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–237/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00123)

1. मैसर्स पवन उद्योग, ईटाराणा रोड़, अलवर जरिये डायरेक्टर सौरभ डाटा उम्र करीब 34 वर्ष, जाति महाजन, निवासी भगवती सदन स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास, अलवर जरिये सचिव,
2. तहसीलदार, अलवर बतौर लैण्ड होल्डर, अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर के आदेश दिनांक 11.07.2002 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 90क(9) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम देवखेड़ा, तहसील अलवर में स्थित है जिसमें अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा जिस भूमि की किस्म बंजड दर्ज है जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आराजी को नगर विकास न्यास, अलवर की ओर से अलवर नगरीय क्षेत्र के खसरा नम्बरान की पत्रावली 90बी हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर को प्राप्त होने पर विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2002 को प्रकाशन हेतु भेजी गई तथा विधि अनुसार अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ उक्त खसरा नम्बर की विज्ञप्ति दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 17.04.2002 को प्रकाशित हुई जिसमें सुनवाई/आक्षेप प्रस्तुत करने की दिनांक 27.04.2002 रखी गई, उक्त दिनांक तक कोई भी आक्षेप प्रस्तुत न होने पर दिनांक 27.04.2002 को 90बी के आदेश जारी किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, (भूमि पुर्नग्रहण) भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.04.2002 में अन्य खसरा नम्बरान के साथ मिन अपीलान्ट का खसरा नम्बर 137 रकबा 0.19 हैक्टयर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(2) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर राजहित में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पुर्नग्रहित किया गया तथा भूमि के राजहित मे पुर्नग्रहित होने के फलस्वरूप राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1956 की धारा 60 के अन्तर्गत इस भूमि में नगर विकास न्यास, अलवर का अधिकार स्वामित्व प्रोदभूत किया जाकर भूमि का नामान्तरकरण नगर विकास न्यास अलवर के नाम अंकित करते हुए निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को भेजी गई तथा तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 92 दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 137 का हिस्सा 0.19 हैक्टयर को नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज किया जाकर भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.07.2002 के द्वारा स्वयं के 90बी किये जाने के आदेश दिनांक 27.04.2002 को अपीलान्ट को बिना सूचित किये तथा बिना सुनवाई का कोई अवसर दिये ही उक्त खसरा नम्बर के बाबत नगर विकास न्यास अलवर के पक्ष में किये गये इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 92 को निरस्त करते हुए तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 94 दर्ज कर भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर बंजड़ दर्ज कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.19 हैक्टयर ग्राम देवखेडा की संपरिवर्तन की कार्यवाही को समाप्त करने के लिऐ आवेदन नही किया गया, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई व्यक्तिगत नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2002 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी और ना ही अपीलान्ट को कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया गया और ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया गया, अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब अपीलान्ट द्वारा सूचना को अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर नगर विकास न्यास, अलवर कार्यालय का पत्र दिनांक 01.07.2016 अपीलान्ट को प्राप्त हुआ जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर कानूनी सलाह ली गई जिनके द्वारा हाल जमाबन्दी की नकल लेने को कहा जिसकी नकल लेकर अभिभाषक को बताने पर उन्होने सलाह के मुताबिक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर 90बी की कार्यवाही ड्रॉप की गई, उस प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.09.2016 को नगर विकास न्यास अलवर से मांगी गई परन्तु उसका कोई जवाब नही आने पर दिनांक 19.06.2017 को पुनः प्रार्थना पत्र

पेश कर अपीलान्ट के द्वारा कथित प्रार्थना पत्र की नकल लेने हेतु आवेदन किया हुआ है, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया है और ना ही अभी तक अपीलान्ट के द्वारा पेश कथित प्रार्थना पत्र की नकल दी गई इसलिये अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने की सलाह दी गई जिस पर अपील बिना किसी देरी के साधारणतया अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2002 को निरस्त किया जावें एवं उक्त निर्णय की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 12.07.2002 बाबत आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम देवखेडा तहसील व जिला अलवर निरस्त फरमाया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.19 हैक्टयर की किस्म पुनः गैर मुमकिन आबादी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2002 के करीब 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई जो स्पष्ट तौर पर असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी सन्तोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नही किया गया है जिससे कि इतना लम्बा असाधारण विलम्ब को कानूनन कण्डोन नही किया जा सके, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा दो आदेशों के विरूद्ध एक है ही अपील प्रस्तुत की गई है जबकि कानूनन दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही होने से भी खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
अलवर

के आदेश दिनांक 27.04.2002 द्वारा अपीलान्ट की वादग्रस्त आराजी की धारा 90बी कार्यवाही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के ही आदेश दिनांक 11.07.2002 द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उक्त धारा 90बी की कार्यवाही को ड्रोप किया गया है जबकि अपीलान्ट का दौराने बहस मूल रूप से कथन रहा है कि उनके द्वारा 90बी की कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी 90बी की कार्यवाही ड्रोप करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2002 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2002 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर